कोड संख्या		1]	
प्रजावली संख्या	V		30	8	
संदर्भ			-		

बीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नीएडा) गौतमबुद्ध नगर (मानचित्र स्वीकृति प्रत्र)

कृति नीएडा/भ०प्र०/बी० पी०/बी०पी०आर०. V·308 / 46] / दिनांक // पिपाप्प

яна Ms. Digamber Jein Society for Child We (fere (leg)
Mathura Road, Jong Pora.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11/8/2014. के संदर्भ में आपके प्रस्तावित 105 संदर्भ में शापके प्रस्तावित 105 संदर्भ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से *Jwo Years*, तक वैध है।
- 2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा पाधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जाएगा।
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतू स्वीकृत कराया गया है क्वेवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी विना आपत्ति के
- दरवाजे व रिवड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी
- भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैंड) न हो। विजली की लाईन से पांच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
- आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
- आवटा द्वारा भवन सामग्री जूरवार्थ स्वीकृत मानवित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की स्वाकृत मानाचत्रा का एक राज ना सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के
- जा सक तथा निमाण काय स्पापूर. अनुसार ही कराया जाएगा। आबंटी तहरवाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहरवाने का भवन अनुसार ही कराया जाएगा। आवटा एक कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरु करेगा। अन्यथा प्रकोच्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरु करेगा। अन्यथा

कित मानचित्र स्वतः निरस्त गाँउ। भी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत सिनीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

C. 📮 स्वतः निरस्त माना जाएगा।